हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 अगस्त, 1974

खंड 3, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

भाुक्रवार, 16 अगस्त, 1974

	पृश्ठ संख्या
भाोक प्रस्ताव	(1)1
स्थगन प्रस्ताव तथा बहिर्गमन	(1)7
अध्यक्ष द्वारा घोशणाः–	
(क) सभापति तालिका	(1)10
(ख) याचिका समिति	(1)10
सचिव द्वारा घोशणा	(1)11
सदन के पटल पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज पत्र	(1)11
दी हरियाणा होम गार्डज बिल, 1974	(1)11
दी हरियाणा पुलिस (प्रोटैक ान आफ रेलवेज) बिल, 1974	(1)17
दी हरियाणा एबोली ान आफ ब्हिपिंग बिल, 1974	(1)19
दी पंजाब कौमन लैंडज (रैगुले ान) हरियाणा	

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 16 अगस्त, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14:00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

भाोक प्रस्ताव

Mr. Speaker:- Obituary references.

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमारे पिछले अधिवे ान से ओर इस अधिवे ान के बीच में कुछ हमारे डिस्टिग्वि ड साथी हमें छोड़कर चले गए। तो मैं आपके जरिए सदन से प्रार्थना करूंगा कि उनके लिए हम यहां भाोक प्रस्ताव पास करें:–

(1) This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. M.B. Rana, Union Minister of State for Industrial Development on 31st July, 1974, due to heart failure.

Sh. Mansinhji Bhasaheb Rana was born on 10th March, 1904 at village Kervada in Broach District of Gujrat.

He did Bar-at-law from Middle Temple, London and started practice as advocate at Bombay High Court in 1932. Sh. Rana was a member of Bombay Assembly during 1946-52 and 1957-60. After the division of Bombay, he became the first Speaker of the Gujrat State Assembly in 1960. He was elected to the Lok Sabha in 1967.

Sh. Rana became Minister of State in the Ministry of Transport and Shipping in February, 1973 and was transferred to the Ministry of Industrial Development in January, 1974.

Sh. Rana was a founder member of the National Rifle Association of India. He was author of book on Rifle Shooting and another on archery in Gujarati and Hindi.

In his death, the country has lost a sincere and conscientious public worker and a keen sportsman. The House resolves to send its heartfelt sympathies to the members of the bereaved family.

(2) This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Motialal Chamanlal Setalvad, former Attorney General of India, on the 1st August, 1974.

Sh. Setalvad was born on November 12, 1884 at Ahmedabad and took his B.A. and Law Degree from Bombay University. He was enrolled as an advocate at the Bombay High Court in 1911 and held the post of Advocate General of Bombay from 1937to 1942. He presented India's case on Kashmir in the Security Council and the United Nations General Assembly from 1948 to 1952.

Sh. Setalvad became Attorney General of India in 1950 and held that post for twelve years. After retirement, he continued to practice in the Supreme Court. He remained a member of the Rajya Sabha from 1966 to 1972. He wrote a number of books on different aspects of Indian Jurisprudence.

Sh. Setalvad was person of high intellectual attainments and ethical standards. In his death, the country has lost one of the foremost luminaries of legal profession. The House resolves to send its heartfelt sympathies to the members of the bereaved family.

(3) This House places on record its deep sense of sorrow on the sad and untimely demise of Sh. Sat Pal Singh Randhawa, M.L.A., Punjab on 8th August, 1974 at the age of 38.

Sh. Sat Pal Singh Randhawa was born in an agriculturist family of village Bodal in District Hoshiarpur on 15th January, 1936. He took active part in public life from his early years. He was elected Sarpanch of Gram Panchayat Bodal in 1964. He was the Managing Director of the Central Co-operative Bank, Hoshiarpur from 1965 to 1969 and Director of State Co-operative Land Mortgage Bank from 1966 to 1969.

He was elected to the Punjab Vidhan Sabha on Congress ticket from Dasuya Constituency in 1972 General Elections.

The House resolves to send its heartfelt sympathies to the members of the bereaved family.

(4) This House place on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. Parkash Chandra, Advocate, Hissar on 3rd August, 1974. He was born at Bhiwani and was educated at Lahore. He passed his Matriculation examination from D.A.V. High School, Lahore and graduated from D.AV. College, Lahore. He passed his L.L.B. Examination from the University Law College, Lahore in 1915, stood first in the joint Punjab State and obtained a gold medal. He started his practice at Hissar in 1916. He was an eminent civil lawyer. He was honest in his profession. He was also a social worker. He was founder of C.A.V. College Bhiwani, Jagan Nath Kanya Pathshala at Hissar, D.A.V. High School and Dayanand Brahma Mahavidhyala at Hissar. He was a self-made man. He was one of the leading personalities in Hissar. Hew was a fearless and self-less worker and had a spirit of Sacrifice.

This House resolves to send its heartfelt condolences to the members of the bereaved family.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहिब, लीडर आफ दी हाउस ने इन ओबिचुअरी रैफरैन्सिज पर जो विचार प्रकट किए है मैं उनका अनुमोदन करता हूं। ये जितने भी महानुभाव हैं, सिवाय एक श्री एम.सी. सीतलवाद को छोड़ कर, इनके साथ मेरा कोई पर्सनल सम्बन्ध नहीं रहा। सीतलवाद जी के साथ भी मेरा सम्बन्ध इतना रहा है कि अपने बिजनैस के सिलसिले में मैंने कई बार उनको वकील किया। तो उनके कंटैक्ट में आते हुए पता चला कि एम.सी. सीतलवाड़ जी ने हिन्दुस्तान में सही मायनों में अपना जो कानून यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अन्दर चलता

रहा उसके अन्दर एक नुमायां पार्ट अदा किया है। इतनी लम्बी उमर तक उन्होने जहां तक संविधान के अन्दर ऐग्जैक्टिव और उसके साथ ही जुडीि ायरी है उसके अन्दर ऐग्जैक्टिव के बारे में जब–जब भी सुप्रीम कोर्ट के अन्दर किसी प्रकार की बातें गई उन्होंने इतना ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को ही वहां पर बतौर वकील गाईड किया हो या वहां पर आर्गुमैंट्स देकर उन पर रो ानली डाली हो बल्कि बाहर भी जहां तक कानून का सवाल था कई कांफ्रैन्सिज में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए और कानून के बारे में जो दे ा को उन्होंने रास्ता दिखाने की कोि ा ा की वह अपने आप में एक मिसाल है।

स्पीकर साहब, दूसरे जो महानुभाव हैं उनके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो दे ा के अन्दर इतने ऊंचे पद पर आता है, उसके अन्दर कुछ न कुछ वि ोशताएं होती है ओर उन्हीं वि ोशताआं के कारण वह समाज में उस सम्मान और उस पद को प्राप्त करता है। इन अलफाज के साथ मैं इन महानुभावों के निधन पर अफसोस प्रकट करता हूं इनके परिवार वालों के साथ पूर्ण हमर्दर्दी रखता हूं और प्रभू से प्रार्थना करता हूं िकवे इनकी आत्माओं को भाांति दे।

चौधरी दल सिंह (जींद): अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दी हाउस ने जो भाोक प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है मैं भी उसके साथ अपने आपको समिमलित करता हूं। अठारह रोज के बाद हम दुबारा इस हाल में मिले हैं और इन अठारह रोज के

अन्दर हम देखतते हैं कि दे ा की चार महान हस्तियां हमसैं जुदा हो चुकी है। जैसा राम लाल जी ने फरमाया मेरी भी वाकफियत इन महान हस्तियों से नहीं है लेकिन फिर भी श्री एम.सी. सीतलवाड़ जी की बाबत जैसा इन्होंने बताया मैं भी कहना चाहता हूं कि ये दे ा के एक बहुत उच्च कोटि के न्याय करने वालों में से, उच्च कोटि के विद्वान और बहुत बड़े वकील रहे। जब–जब भी जरूरत पड़ी इनकी गाईडैन्स की, सलाह मि वरे की इन्होंने बगैर किसी भेदीााव के बिल्कुल निडर होकर राय दी। सीतलवाड़ जी ने दे ा की सेवा न सिर्फ दे ा में की है बल्कि ये यू.एन.ओ. में, सिक्योरिटी कौंसिल में भी करते रहे। जो उनकी उमर 90 साल की थी लेकिन फिर भी बउ़े ऐक्टिव थे। उनकी वि ोशताएं जो वे छोड़ गए हैं वे रहेंगी उनकी याद को कायम रखने का बेहतर तरीका यह है कि जो कुछ उन्हौंने कार्य किया है और उसमें जो हमें पसन्द है उसको अपनाने की कोि ा ा करें। मैं अगर यह बात भी कह दूं कि जुडिि ायरी में जो अहम पार्ट उन्होंने अदा किया भाायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो, तो यह अनुपयुक्त न होगा। जिस वक्त भारत की सरकार गलत रास्ते पर भटक रही थी उस वक्त उन्होंने ए.एन. राय की नियुक्ति को गलत बताया था जब कि वे 12 साल तक अटार्नी जररल भी रह चुके थे। उन्होंने सही राय दी, जो देनी चाहिए थी। वे इस किस्म के निर्भीक और निडर व्यक्ति थे। उनके निधन पर बड़ा ही अफसोस हैं दूसरे जो महानुभाव हमारे से विछुड़ गये हैं उनका भी बड़ा दु:ख हैं। मैं सभी माहनुभावों, महानआत्माओं को अपनी श्रद्वाजंलि अर्पित करता

हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो भी उनके कुटुम्ब के सदस्य हैं उनको इस दुःख को बरदा त करने का हौंसला दे और स्वर्गीय महानुभावों की आत्माओं को भाान्ति दें।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहिब, सदन के सामने लीडर आफ दी हाउस ने भाोक प्रस्ताव रखा है। जहां तक इन महानुभावों की भाखसियत का ताल्लुक है किसी को कोई भाक नहीं हो सकता। उनके निधन से दे ा को बड़ी भारी क्षति हुई है। मैं खास तौर पर इस मौके पर अपने बुजुर्ग बाबू प्रका ा चन्द्र जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा क्योंकि मेरे जीवन पर उनके जीवन की बड़ी भार छाप रही है। बचपन से मुझे उनके निकट सम्पर्क में आने का मौका रहा है। उनका फरजन्द मेरा क्लासफैलो होता था, उस नाते से मुझे कितनी ही दफा उनके मकान पर जाने का मौका मिलता था, उस नाते से मुझे कितनी ही दफा उनके मकान पर जाने का मौका मिलता था। वे बड़े प्यार और दुलार से गाइडैन्स की बात कहा करते थे। जिस वक्त मैं वकालत के कार्य में आया तो मैं बलैसिंग के लिए, गाईडैन्स के लिए उनके पास गया तो उन्होंने एक ही फिकरा गाइडैन्स में दिया था ओर उसको ही मैंने मौटो बना लिया। उस फिकरे की गाईडैन्स से मैंने वकालत में काफी कामयाबी हासिल की। वह फिकरा यह है:—

"Client first and everything afterwards"

वे अपने प्रोफै ान में कितने लीन रहते थें, अपने क्लाइन्ट की कितनी परवाह करते थे, वे वही लोग समझ सकते हैं

जो लोग उनके नजदीक रहे हैं। वे कितने कौं ोस थै, वह बात से ही साबित होता है कि जिस वक्त वे ज्यसादा उम्र के हो गए,उन पर बुढ़ापा आ गया, उन्होंने यह समझा कि वे ईमानदारी से अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं तो वे रिटायर हो गए। भाायद हिसार की बार में यह वाहिद मिसाल थी। वैसे काफी अर्सेत क वे सो ाल वर्क करते रहे, सामाजिक काम करते रहे लेकिन प्रैक्टिस इसलिए छोड़ दी ि कवे ईमादरी से यह फील करने लग गए कि जितनी क्लाइन्टस की फीस वे लेते हैं उतनी वे कोर्ट में मेहनत नहीं कर सकते हैं। जहां वे तमाम हिसार की बार के लिए एक रो ानी का मीनार थे वहां मैंने उनके बताए हुए रास्ते से जिन्दगी में कामयाबी हासिल की है। मुझ पर उनके कैरेक्टर की बहुत बड़ी छाप थी, उनकी बहुत बड़ी देन थी। उनका निधन 90 साल की उम्र में हुआ है, काफी आयु में उनका निधन हुआ हैं परन्तु जो इंसान संसार में आता है वह जाता भी है। जितना ने कनाम लेकर वे गए और खास तौर से जो सेवा उन्होंने हिसार की तालीम के अदारे बिल्ट करने में की वह किसी से छिपी हुई नहीं है। मेरे पास उनके कार्यों का पूरा वर्णन करने के लिए पर्याप्त भाब्द नहीं हैं। अपने ख्यालात को पूरी तरह से इजहार करते हुए मैं उनके निधन को अपना परसनल लौंस समझता हूं। I feel as if I have become an orphan. मैं यह भी समझता हूं कि हिसार के लोगों को भी काफी लौस हुआ है और दे ा को भी काफी लौस हुआ है। में भगवान से उनकी आत्मा की भाान्ति के लिए प्रार्थना करता हूं और भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि उनके

कुटुन्ब के लोगों को इस महान दुःख को सहन करने की भाक्ति दे।

बाकी जिन तीन महानुभावों का निधन हुआ है। उनके गुजर जाने से दे ा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं उनके परिवारों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको इस दुःख को बरदा त करने का हौसला दे और उन महानुभावीं की आत्माओं को भगवान भाान्ति दे। इन भाब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद): स्पीकर साहब, यह भाौक प्रस्ताव हमारे सामने हैं। इसी तरह से भाोक प्रस्ताव हर सैं ान में आते है। अच्छे और बहादुर लोग हमे ाा–हमे ाा के लिए जब इस संसार से चले जो हैं तो उनकी याद में ह एक प्रैक्टिस बनी है कि हर सै ान में या और जगहों पर उनको याद किया जाए। संसार में जितने भी लोग हैं छोटे से लेकर बड़े तक सब को इस संसार से चला जाना है लेकिन इस संसार में नाम उन्हीं लोगों का होता है जो दे ा के हित के लिए काम करते हैं। मैं यही श्रद्धांजलि भेंट करता हूं कि सभी लोग सच्चाई और ईमानदारी के साथ दे ा और समाज की सवा करें, समाज के हित के काम करें। मैं यह कहने में हिचकूगां नहीं कि सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही है कि जो दूसरों की तकलीफ को महसूस करते हैं, जो भी काम किसी व्यक्ति के जिम्मे लगाया गया है वह सच्चाई और ईमानदारी से करे जिससे दे ा और समाज की भलाई हो।

अपने कार्य को ठीक तरह से करना चाहिए दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। इसी तरह से दे ा और समाज आगे बढ़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं उन चारों व्यक्तियों को जो हमारे बीच से हमे ाा हमे ाा के लिए चले गए हैं श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

श्री अमर सिंह (बवानी खेड़ा): स्पीकर साहिब, आज हाउस के सामने लीडर आफ दी हाउस ने जो भाोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपनी और से और अपनी पार्टी की और से उसमें सम्मिलत होता हूं। स्पीकर साहिब हर बार जब भी कुछ अर्से के लिए सै ान लगता है ऐसे महानुभावों की लिस्ट हाउस के सामने आती ही रहती है। इस सिटिंग और पिदीली सिटिंग के बीच ये महान आत्मायें हम से जुदा हुई हैं। महान लोगा जब जन्म लेते हैं उसी घर में खु ाी होती है लेकिन वे अपने–अपने दायरे में लीगल प्रोफैस ान में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम करती है उससे दे ा को भी बहुत बड़ा लाभ होता है। जब दे ा के लिए, समाज के लिए इतना बड़ा काम करते हैं तो इनके गुजर जाने से दे ा को बहुत बड़ा नुक्सान होता है। ये महान आत्मायें हम से जुदा हुई हैं। इन्होंने हर पहलू में नुमायां तरक्की की और दे ा की बड़ी रो ानी दी। श्री एम.सी. सीतलवाड़ जी ने लीगल प्रोफै ान में आद र्ा कायम किया, एक रो ानी दी, उन्होंने इनतहा दर्जे तक कानूनी पहलू मे रास्ता दिखाया। वे आटर्नी जनरल आफ इंडिया भी रहे। उन्होंने यू.एन.ओ. में भी काम किया। इन महान आत्माओं से जो क्षति हुई है, वह तो पूरी नहीं हो

सकती लेकिन हमें उनके बताये हुए रास्ते पर जरूर चलना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी रूह को भाान्ति मिले। उनके परिवार पर जो दुःख को बोझा पड़ा है उसको बर्दा त करने की भगवान भाक्ति दें। इन्होंने जो जो अच्छे रास्ते बताये हैं उन पर चल कर अच्छी चीजें ग्रहण करें। ये भाब्द कहते हुए मैं इस भाोक प्रस्ताव में अपने आपको भाामिल करता हूं।

Mr. Speaker: Hon. Members, it is rather depressing that we have lost senior leaders and statement from our midst during this brief off-session period. In the passing away of Sh. M.B. Rana, Union Minister of State for Industrial Development, the Country has lost an old Parliamentarian. After appearance of Gujrat on the map of India in 1960, he was elected as the first Speaker of the new Legislative Assembly of Gujrat. He was the Chairman of Public Undertakings Committee of Parliament in 1970-71.

Sh. M.C. Setalvad, former Attorney General of India and Member Rajya Sabha, was one of the brightest legal luminaries of India. Mr. Setalvad represented India on the Kashmir question in U.N. and the Security Council and before the Hague Court in regard to dispute with Portugal.

Sardar Satpal Singh Randhawa, Member, Punjab Vidhan Sabha, suddenly passed away only last week. He did a lot of work for his Constituency and the area.

Sh. Parkash Chandra, Advocate, Hissar, passed away recently. He was a leading Civil Lawyer of Hissar and was a great social worker.

I whole heartedly associate myself with the deep feelings expressed, and I shall no doubt, convey the sympathies of this House to the bereaved families.

In the end, I request you to observe two minutes silence, while standing as a mark of respect to the deceased.

(The House then stood in silence for two minutes.)

स्थगन प्रस्तवा तथा बहिर्गमन

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मेरा एक ऐडजर्नमैंट मौ ान था।

Mr. Speaker: You must have received the reply.

चौधरी राम लाल वधवा: यह अभी ला रहा है। मैंने तो देखा नहीं की उसमें क्या है।

Mr. Speaker: I have decided it.

चौधरी राम लाल वधवा: मेरा भी एक मो ान था .... (व्यवधान एवं भाोर) ..... रिप्लाई तो आना चाहिए।

Mr. Speaker: You will be receiving the reply just now.

चौधरी दल सिंह: अर्ज यह है कि एक जरूरी सा मामला है .....

चौधरी राम लाल वधवा: इसमें यह लिखा है कि कोई अरजैन्सी मैटर की नहीं है। मैं यह दोबारा रिकवैस्ट करना चाहता हूं कि आप इसको राकन्सीडर करें। यूथ रैली में गवर्नमैंट की म ाीनरी मिस–यूज हुई है। ट्रक्स यहां से ऐन्पलाए किये गये हैं। कोई परमिट्स उन्होंने नहीं लिये। कोई चैकिंग नहीं हुई वहां पर।

Mr. Speaker: Nothing definite has been said.

चौधरी राम लाल वधवा: यूथ्स को यहां ऐजुके ानल इंस्टीच्यू ान्ज से जबरदस्ती वहां पर ले जाया गया है।

Mr. Speaker: I have studied the motion very carefully and I have ruled it out (Interruptions)

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, इसमें मेरी गुजारि ा यह है ....

Mr. Speaker: Nothing definite has been said in both the motions. I have studied the motions very carefully.

Ch. Dal Singh: One submission, sir.....

चौधरी राम लाल वधवा: यह अरजैन्ट मैटर है। 9 तारीख के बाद सै ान तो आज 16 को ही हो रहा है। तो हम आज ही ऐडजर्नमैंट मो ान दे सकते थे। इसलिये दिया है। यह एक सीरियस मामला है। प्राईवेट रैली में गवर्नमैंट म ाीनरी मिस–यूज की गयी है। तो हम रिक्वैस्ट ही कर सकते हैं कि इसको री–कन्सीडर करें। (Interruption and Noise).

श्री अध्यक्षः आर्डर प्लीज !

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, एक चीज मैं साफ कर दूं। अपोजी ान मैम्बर्ज को प्रैस पब्लिसिटी चाहिये थी, तो इतने से हो गयी। जहां तक सरकार का ताल्लूक है, मैं ....

चौधरी चांद रामः स्पीकर साहब, हाउस के मैम्बर्ज को यह कहना कि प्रैस पब्लिसिटी चाहिये, यह बीच आफ प्रिविलेज है। कोई भी दूसरा मैम्बर, चाहे वह बड़े से बड़ा लीडर हो, दूसरे मैम्बर पर यह नहीं कह सकता कि इनको प्रैस पब्लिसिटी चाहिये थी, एक मैम्बर दूसरे मैम्बर पर यह असप ान नहीं कर सकता कि उसको पब्लिसिटी चाहिये हरेक को राईट टू स्पीक है और वह अपनी बात कह सकता है। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Order please. It was not said in a serious mood. ..... (व्यवधान) .....

चौधरी राम लाल वधवाः हम कहते है कि डिस्कस करवा लें तो पता लग जायेगा कि हम पब्लिसिटी के लिये कर रहे हैं या फैक्ट्स कह रहे हैं। ..... (व्यवधान) .....

चौधरी ि ाव राम वर्माः स्पीकर साहब, अगर यह डिस्कस हो जाए तो असलियत का पता लग जायेगा। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बात कह दी वरना जरूरत नहीं थी। यह पब्लिसिटी की बात नहीं। बात यह है कि कांग्रेस की यूथ रैली हुई और सरकार ने तमाम ट्रक भिजवाये और जबरन भिजवाए है। आप यह सुनकर हैरान होंगे कि जब लोग वापिस आये हाइवे के पास, तो उन्होंने नारे लगाए और ईन्टें फैंकी। उनको वहां छोड़ दिया गया और कहा कि अब आप वापिस जाओं। यह एक बड़ी ज्यादती है। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, मैं एक पोजी ान साफ कर देना चाहता हूं सरकार की। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: No interruption please.

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ये भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपके जरिये सदन को बताना चाहूंगा कि यूथ रैली जो दिल्ली में हुई थीं, उसमें कोई भी सरकारी म ीनरी इस्तेमाल नहीं की गयी, किसी भी सरकारी अधिकारी ने उसमें कोई काम नहीं किया, यूथस ने काम किया। जहां तक कि हमने भी उसमें कोई काम नहीं किया। जो जवान लड़के थे, उन्होंने अपना काम किया, अब चाहे ये कुछ भी कहें, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। ..... (व्यवधान) .....

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हजारों ट्रक वहां गये और विद–आउट परमिट गये और किसी ने उनको चैक नहीं किया। ..... (व्यवधान) .....

चौधरी बंसी लालः स्पीकर साहब, ये तो इससे भी लम्बे–लम्बे इल्जाम लगाते रहे है। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Order please. ..... (व्यवधान) .....
...

चौधरी ि ाव राम वर्माः वहां तो एक गाड़ी भी नहीं मिलती थी। कहां से परमिट लिये उन्होंने ? ..... (व्यवधान) .....
.....

चौधरी राम लाल वधवाः वहां पर एक स्टूडैन्ट भी नहीं था, सबको जबरदस्ती वहां ले जाया गया। ..... (व्यवधान) .....
.....

Mr. Speaker: Order please.

चौधरी राम लाल वधवाः स्पीकर साहब, हजारों ट्रक वहां बगैर परमिट के गये और किसी ने उनको चैक नहीं किया।

चौधरी बंसी लालः चौधरी राम लाल जी की पहले तो ट्रांसपोर्ट कम्पनी चलती थी क्या अब उनके ट्रक भी चलते हैं ? ....
..... (व्यवधान एवं भाोर) .....

Mr. Speaker: Order please. I would have certainly converted it into a call attention motion had there been definite things in the motions. I have studied both the motion very carefully. (Interruptions). I have ruled these out.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इसमें मैंने डैफिनिटली दिया है कि गवर्नमैंट की म ीनरी मिस–यूज हुई है और ट्रक्स बिना परमिट के इस्तेमाल हुए हैं .....

Mr. Speaker: Nothing definite has been said. I have already observed it.

चौधरी राम लाल वधवा: मैंने ऐक्सपलेनेटरी मैमोरैन्डम में यह दिया है कि गवर्नमैंट की म ीनरी मिस–यूज हुई है और ट्रक्स बिना परमिट इस्तेमाल हुए हैं और बैरियर पर उनकी चैकिंग नहीं हुई। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Neither it is the responsibility of the State Government nor are the private owner's trucks under the Government.

चौधरी राम लाल वधवा: विद–आउट परमिट कैसे जा सकते हैं ? वहां पर बार्डर किस लिय बना हुआ है ? ..... (व्यवधान) .....

चौधरी बंसी लाल: अगर विद–आउट परमिट गये होते तो दिल्ली में भी तो चालान होता। ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: Order please.

Under Rule 13(1) of the RRules of Procedure.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): स्पीकर साहब, इनके जलसों के अन्दर आदमी इकट्ठे हों तो वे स्वेच्छा से हो जाते हैं, यहां जितने आदमी इकट्ठे होते हैं, वे प्रै ार से होते हैं ? ..... (व्यवधान) .....

Mr. Speaker: No interruptions please.

चौधरी चांद राम: जो गवर्नमैंट म ीनरी का 9 अगस्त को यूथ रैली में मिस–यूज हुआ है, उसके प्रौटैस्ट में हम वाक–आउट करते हैं ...

Mr. Speaker: Order please..... (Interruptions) Order please.

(इस समय सर्वश्री दल सिंह, चांद राम, महन्त श्रयो नाथ, गणपत राय, हरद्वारी लाल, पीर चन्द, राम लाल वधवा तथा ि ाव राम वर्मा सदन से वाक–आउट कर गये।)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(क) सभापति तालिका

Mr. Speaker: Under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the folowing Members to serve on the Panel of Chairmen:-

1. Sh. Nihal Singh

2. Rao Dalip Singh

3. Ch. Ishwar Singh

4. Ch. Manphul Singh

(ख) याचिका समिति

Mr. Speaker: Under Rule 286(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Vidhan Sabha, I nominate the folowing Members to serve on the Committee on Petitions:-

1. Smt. Lekhwati Jain (Deputy Speaker) Ex-Officio Chairman;

2. Rao Dalip Singh

3. Sh. Gulab Singh Jain;

4. Ch. Phool Chand (Rohat); and

5. Ch. Phool Chand (Mullana)

Secretary to make an announcement.

सचिव द्वारा घोशणा

Secretary: Sir, I beg to lay on the Table of the House a statement showing the Bills which were passed by the

Haryana Legislative Assembly during its last session (July, 1974) and have since been assented to by the Governor:-

Statement

1. The Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Bill, 1974.
2. The Haryana Land Holdings Tax (Amendment) Bill, 1974.
3. The Court Fees (Haryana Second Amendment) Bill, 1974.
4. The Haryana Appropriations (No. 3) Bill, 1974.
5. The Haryana Appropriations (No. 4) Bill, 1974.
6. The Haryana Corneal Grafting Bill, 1974.
7. The Haryana Prohibition of Smoking in Cinema and Theater Halls, Bill, 1974.

सदन के पटल पर पुनः रखे गए/रखे गए कागज–पत्र

Transport Minister (Col. Maha Singh): Sir, I beg to relay on the Table a copy of the notification No. GSR.53/C.A.4/39/S.133.A/Amd. (1)/74, dated the 10th May, 1974, regarding the amendments in the Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133(3) of the Motor Vehicles Act, 1939.

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): Sir, I beg to relay on the Table a copy of the notification No.

G.S.R.71/Const./Art.320/Amd.1/74, dated the 29th May, 1974, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulations, 1974, as required under article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table a copy each of the following notifications regarding the Haryana Aided Schools (Security of Service) Rules, 1974, as required under section 8(2) of the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act, 1971:-

i. No. G.S.R. 78/H.A.10/71/S 8/74, dated the 12th June, 1974

ii. No. 5533-Ed.II(IE)-74/22342, dated the 18th July, 1974.

Sir, I further beg to lay on the Table a copy of the notification No. S.O.131/H.A.35/1973/S.20(1)74, dated the 12th August, 1974, as required under section 20(2) of the Haryana Requisitioning and Acquisition of Immovable Properly Act, 1973.

दी हरियाणा होम गार्डज बिल, 1974

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to introduce the Haryana Home Guards Bill, 1974.

Sir, I also beg to move:-

That the Haryana Home Guards Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Home Guards Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंह (जींद): अध्यक्ष महोदय, होम गाडर्ज के सिलसिले में सरकार जो यह बिल पे ा कर रही है इसमें कोई कन्ट्रोवर ायल बात तो नहीं है लेकिन इसके जो आब्जेक्ट्स एंड रीजन्ज हैं उनमें लिखा हुआ है:—

"It has been decided to make a provision making it obligatory for employers to permit members of Home Guards to join duty when called upon and reckoning such period of duty as period spent in such employment.

यह तो इसके उद्दे य और कारणों में दिया गया है और सैक ान 5(1) में लिखा है कि कोई भी ऐम्पलायर अपने ऐम्पलाई को होम गार्ड्ज की ड्यूटी ज्वायन करने की इजाजत देगा चाहे आपस में कोई भी समझौता हुआ हो, उसकी कोई खास बात नहीं होगी। इसमें आगे लिखा है कि ऐम्पलायर अपने ऐम्पलाई को साल में तीस दिन की तनखाह देने का जिम्मेवार होगा। स्पीकर साहब, मैं कहना कहाना चाहता हूं कि अगर किसी ऐम्पलायर के पास सिर्फ चार ऐम्पलाई हैं और चारों होम गार्ड्ज में जाते हैं तो उसका तो सारा काम बन्दर हो गया और उसको एक महीने की तनखाह देनी पड़ेगी। इस तरह से तो उसका काम बन्द हो जाएगा ओर ऐम्पलायार किसी भी अपने कर्मचारी को होम गार्ड्ज का सदस्य होने के कारण पदच्युतया हटाएगा नहीं। मेरा

निवेदन है कि इस तरह के छोटे मोटे लैकूना जो सरकार ने रखे हैं, वे नहीं रखने चाहिए।

श्री के.एल. पोसवालः यह तो खास एमरजेन्सी में ही होता है जैसे पाकिस्तान या चाईना के साथ लड़ाई हो।

चौधरी दल सिंहः इसमें लिखा हुआ है कि ऐम्पलायर तनखाह देगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसको दो जगह से तनखाह मिलेगी। एक आदमी दो जगह से कैसे तनखह ले सकता है ?

श्री के.एल. पोसवालः गवर्नमैंट उसको तनखाह नहीं देती। गवर्नमैंट एक–आध रूपया उसको देती है।

चौधरी दल सिंहः मेरा तो कहना यह है कि किसी के पास चार ऐम्पलाई हैं और चारों ही होम गार्ड्ज मं चले जाते हैं तो ऐसी हालत में ऐम्पलायर का क्या हाल होगा और आगे लिख दिया गया कि उसको तीस दिन की तनखाह देगा।

श्री के.एल. पोसवालः ज्यादा से ज्यादा वह तीस दिन की तनखाह देगा।

चौधरी दल सिंहः इस तरह से ऐम्पलयार का काफी नुक्सान होगा। स्पीकर साहब इसमें यह एक लैकुना है जिसको सरकार को दूर करना चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): हरियाणा होम गार्ड्ज बिल, 1974 सदन में प्रस्तुत हुआ है। जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है लेकिन स्पीकर साहब, इसमें जो डेफीनी ान दी हुई है इसमे लिखा है:—

"In this Act, unless the context otherwise requires:-

a) "member" means a members of the Haryana Home Guards;

b) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act."

इसमें मैम्बर और 'प्रैसक्राबड' की डेफिनी ान दी गई है लेकिन इसके अन्दर जो क्लाज 4 है और क्लाज 4 की जो सब—क्लाज है उसमें लिखा है:—

"The State Government may appoint any person, whether a member or not, to any office of command in the Haryana Home Guards."

तो इसमें आफिस या आफिसर जो अप्वाएंट किया जाना है उसकी डेफिसनी ान भी जरूर आनी चाहिए थी कि कौन सा आफिस होगा या आफिस से उनकी मुराद क्या है। यह जो क्लाज 2 के अन्दर डेफिनी ान दी हुई है यह इन—कम्पलीट है और इसी तरीके से जो क्लाज 5(1) है उसके अन्दर लिखा है:—

"5(1) Except as may be prescribed, every employer shall permit a member who is for the time being employed by

or under him to join his duty as such, and not with standing anything in any law or agreement between him and such member, the period of this duty shall, subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed, be deemed to be the period spent in such employment;

स्पीकर साहब, ऐम्पलायर की डेफिनी ान आनी चाहिए थी। इन्होंने क्लाज 2 के अन्दर ऐम्पलायर की डेफिनी ान नहीं दी है। यह एक लीगल डिफैक्ट है। इसके साथ ही क्लाज 5(1) के अन्दर दिया हुआ है किः—

"Provided that the employer shall not be liable to pay remuneration to such member for a period exceeding thirty days in any year."

स्पीकर साहब, जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि इसमें डिफैक्ट है। फर्ज किया एक ऐम्पलाई को ये ऐम्पलायर के यहां ड्यूटी खत्म करने के बाद या ड्यूटी के भाुरू होने के पहले बुलाते हैं और वह होम गार्ड्ज की ड्यूटी करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह उसकी ऐडी ानल ड्यूटी होगी। उस ऐम्पलाई को उसका रेमूनरे ान मिलना चाहिए। अगर उसी पीरियड में दो ड्यूटीज हैं तो उसको रैमूनरे ान मिलना चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो बड़ी कम्पलीके ान होगी और ऐम्पलायर और ऐम्पलाई का झगड़ा होगा। इसलिए इसके अन्दर से प्रोवाइडिड वाला भाब्द निकाल देना चाहिए। उसे रैमुनरे ान मिलना चाहिए। अगर एक ऐम्पलाई अपने ऐपम्लायर के यहां बैठकर ड्यूटी देता है और जब

वह होम गार्ड्ज में भाामिल होता है तो उसको रेल की लाईन की हिफाजत करने या किसी और तरह की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है या उसको कहीं घर से दूर जाकर ड्यूटी लगा दी जाती है तो उसको तकलीफ होगी। इसलिए उसको रैमुनरे ज्ञन तो मिलना चाहिये। मैं अपनी सरकार से कहूंगा कि वह इसके अन्दर से प्रोवाइडिड वाला जो पार्ट है उसको निकाल दे।

इसी तरीके से क्लाज 5 की जो सब–क्लाज 2 हैं उसमें दिया हुआ है:–

"5(2) No employer shall dismiss, remove or suspend any employee, or take any other action which may prejudice such employee, by reason of his being a member."

स्पीकर साहब, यह एक वेग बात है। कोई डेफिनिट बात होनी चाहिए थी कि किस बिना पर, उसकी ड्यूटी देने के दौरान या किसी ऐक ान की बिना पर, सिर्फ यह लिख दिया कि एज मैम्बर यह नहीं हो सकता। इतने वर्ड्ज लिख दिए कि उसको रिमूव नहीं कर सकता। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे और इस क्लाज को और ज्यादा वास्ट करके क्लीयर करना चाहिए ताकि ठीक ढंग से प्रोटैक ान मिल सके।

इसी तरह से स्पीकर साहब, इन्होंने 11(3) के अन्दर कहा है:–

"All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be, after they are so made, before the House of the

State Legislature while it is in session for a period of not less than ten days, which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the session immediately followings, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done there under."

स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि यहां जितने भी बिल आते हैं सरकार उनको गोलमाल लेकर आती है। इसके बाद रूल्ज हाउस की टेबल पर ले होते है। उन पर डिस्क ान नहीं होती है। इस बारे में एक कमेटी बनी हुई है वे रूल्ज साल में दो साल में लेजिस्लेटिव कमेटी के सामने आते हैं और वह कमेटी देखती है कि वह ठीक हैं कि अथवा नहीं। मेरा कहना यह है कि ऐक्ट के अन्दर जो कम्पलसरी चीजें है जैसे अप्वाएंटमैंट की बात है, उसके इस्तेमाल की बात है, ऐसी जो चीजें है वह ऐक्ट के अन्दर ही आनी चाहिएं, उनका प्रोवीजन ऐक्ट के अन्दर डायरैक्ट होना चाहिए ताकि सदन में ठीक तरह से डिसकस की जा सकें और उसके बारे में कोई अच्छी सजै ान दी जा सके। ये हर ऐक्ट में लिख देते हैं 'ऐज में बी प्रैसक्राइब्ड' और ऐग्जैक्टिव अपने हाथ में पावर ले लेती है और असैम्बली या हाउस उसको डिसकस नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि जो इस प्रकार की फन्डामेन्टल

बातें हैं वे कम से कम ऐक्ट के अन्दर क्लीयर तौर पर आनी चाहिए। यह गोलमोल पावर लेकर फिर रूल्ज के जरिए अपनी मनमानी करते है। इतने भाब्दों के साथ इस बिल का मैं विरोध करता हूं क्योंकि यह बिल बहुत क्लीयर नहीं हैं और लीगली डिफैक्टिव है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसको वापिस ले और फिर ठीक रके सदन में लाए।

श्री के.एल. पोसवालः स्पीकर साहब, इस बिल में कोई कोताही नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि होम गार्ड बाकायदा एक डिपार्टमैंट है और उसमें गवर्नमैंट सर्वेन्ट्स को भी लेते हैं, फैक्टरी के जो मजदूर हैं, किसान है उनको भाामिल करते हैं और बाकायदा उनको ट्रेनिंग देते हैं। स्पीकर साहब, किसी भी प्रान्त की अपनी इतनी पुलिस हो नहीं सकती कि वह एमरजेंसी के वक्त पर सारा काम संभाल सके। जैसे इंडो–पाकिस्तान कनफ्लिक्ट के समय भाहर की रक्षा आदि के लिए, रेलवे लाइन्ज की देखभाल के लिये हमने होमगार्डज की सर्विसिज का इस्तेमाल किया। सो इस प्रकार का काम हम इनसे लेते हैं। इस बिल को लाकर हमने तो एम्पलायर के फायदे की बात की है। पहले तो यह होता था कि तीस दिन से ज्यादा भी पारिश्रमिक सहित वह ड्यूटी पर रह सकता था लेकिन अब हमने यह कर दिया कि 30 दिन से ज्यादा की ड्यूटी का उसे पारिश्रमिक नहीं मिलेगा ताकि इससे ऐम्पलायर को नुक्सान न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बिल पर ज्यादा

डिसक ान की कोई ऐसी जरूरत नहीं है अतः इस को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Home Guards Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1.

Sh. K.L. Poswal: Sir, I beg to move:-

That in the margin of sub-clause (2) of clause 1, for the word "commencement" substitute the word "extent".

Mr. Speaker: Motion moved:-

That in the margin of sub-clause (2) of clause 1, for the word "commencement" substitute the word "extent".

Mr. Speaker: Question is:-

That in the margin of sub-clause (2) of clause 1, for the word "commencement" substitute the word "extent".

The motion was carried.

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (2) of clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 7 to 12

Mr. Speaker: Question is:-

That clause 7 to 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The Motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Home Guards Bill as amended, be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Home Guards Bill as amended, be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Home Guards Bill as amended, be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा पुलिस (प्रोटैक ान आफ रेलवेज) बिल, 1974

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to introduce the Haryana Police (Protection of Railways) Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Haryana Police (Protection of Railways) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Police (Protection of Railways) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी दल सिंहः अध्यक्ष महोदय, बिल के ऊपर कोई ऐतराज नहीं है। क्लाज 2 में यह कहा गया है कि अगर रेलवे का किसी किस्म का नुक्सान हो या किसी हादसे में किसी यात्री की डैथ हो जाए तो उसके लिये अगर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी का दोश पाया जाए तो उसे कम से कम 10 साल तक का दण्ड दिया जा सकता है। मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि आपके थानों में तो रोज मौतें होती हैं उनके लिए आप ऐसा कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, उन थानेदारों को भी सजा मिलनी चाहिए .....

श्री के.एल. पोसवालः उनके लिए तो पहले ही अलग से कानून बना हुआ है।

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Police (Protection of Railways) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Police (Protection of Railways) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Police (Protection of Railways) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Police (Protection of Railways) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा एबोली ान आफ व्हिपिंग बिल, 1974

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to introduce the Haryana Abolition of Whipping Bill, 1974.

I also beg to move:-

That the Haryana Abolition of Whipping Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Abolition of Whipping Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Abolition of Whipping Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses 2 and 3

Mr. Speaker: Question is:-

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is:-

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is:-

That enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker: Question is:-

That Title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Abolition of Whipping Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved:-

That the Haryana Abolition of Whipping Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is:-

That the Haryana Abolition of Whipping Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब विलेज कौमन लैंड्ज (रैगले ान) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1974

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, यह अगला बिल कल ले लेंगे।

Ch. Ram Lal Wadhwa: Sir, I beg to the introduction of this Bill.

चौधरी बंसी लालः यह बिल हम कल पर डाल रहें हैं इसलिए यह आब्जैक ान भी कल ले लेना।

चौधरी दल सिंहः स्पीकर साहब, यह बिल .....

श्री अध्यक्षः कल को 9.30 बजे का टाईम ठीक रहेगा ?

आवाजें: जी हां।

चौधरी बंसी लालः (अपोजी ान की तरफ इ ाारा) इस बात पर भी एतराज कर लो कि कल को 9.30 बजे क्यों बैठेंगे ? (हंसी)

Mr. Speaker: Is it the sense of the House?

Voices: Yes Sir.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9:30 A.M. tomorrow.

14:53 बजे

(The Sabha then adjourned till 9:30 A.M. on Saturday, the 17th August, 1974)